

न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

निर्णय दिनांक २३.१२.१७

रिपोर्ट पटवारी हल्का जगतग द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिकमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे । पत्रावली दिनांक १०.११.१७ को पेश हो ।

पत्रावली पेश हुई । आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का जगतग द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल शानवीर पुत्र शारदा कौम शारदा निवासी राजाखेडा तहसील राजाखेडा ने आराजी ख० न० ५९७४ किस्म ५१०४४ रकवा ०१०१ बांके ग्राम राजाखेडा पर ५०१५५५ की अतिकमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया । गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा । कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया गया । तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का को अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्ध होता है ।

अतः राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान ०.२० की 50 गुनी से शास्ति राशि १०१ रुपये आरोपित की जाती है । भू० अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को लिखा जावे । टी० आर० ए० का माग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

तारीख १० गीज का ४
पृष्ठ सं० ५२ क्रम सं० ०६
हजे की गई ६/११/१७
TRA
राजाखेडा

पय
तहसीलदार
राजाखेडा